(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं 06/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 22 मई, 2020

विषयःप्रकिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 4.37 के तहत गोपालपुर पतन, ओडिशा को पंजीकरण के एक पतन के रूप में शामिल करना।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार जनहित में प्रकिया पुस्तक 2015–2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. एचबीपी 2015–2020 में पैरा 4.37 में "समुद्री पतन" शीर्षक के तहत गोपालपुर पतन को पंजीकरण के एक पतन के रूप में शामिल किया जाता है और संशोधित पैरा 4.37 को "समुद्री पतन" शीर्षक के तहत निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

समुदी पतनः

बेदी (रोजी–जामनगर सहित) चेन्नई दहेज, धरमतार, धमरा, दीघी, एन्नोर (तमिलनाडु), **गोपालपुर**, हल्दिया, हजीरा (सूरत), जामनगर, काकीनाडा, कांडला, कट्टूपल्ली समुद्री पतन (तमिलनाडु), कोच्चि, कोलकाता, कृष्णापट्टनम, मैंगलोर, मरमागांव, मुल्द्वारका, मुम्बई, मुन्ध्रा, नागापट्टिनम, न्हावा शेवा, ओखा पारादीप, पीपावा, पोरबंदर, सिक्का, सूरत (मग्डल्ला), तूतीकोरिन, वडिनार, विशाखापट्टनम।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:विदेश व्यापार नीति के तहत विभिन्न स्कीमों के लिए गोपालपुर को पंजीकरण का एक पतन बनाते हुए पैरा 4.37 को उप पैरा "समुद्री पतन" के तहत संशोधन कर गोपालपुर पतन का शामिल किया जाता है।

अमित यादव
22/5/2020

(अमित यादव)
महानिदेशक,विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft.@nic.in

(फाइल सं. 01/61/180/372/एएम19/पीसी–3/पीसी–4 से जारी)